

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 14, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2023 (अग्रहायण 14, 1945)

क्र. 18253-मप्रविस-15-विधान-2023.—मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 13 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है:—

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन राज्यपाल द्वारा मध्यप्रदेश की पंचदश विधान सभा का विघटन अधिसूचना क्रमांक 212-पीएस-जीएमसी-2023, दिनांक 4 दिसम्बर, 2023 द्वारा किये जाने के फलस्वरूप डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य विधान सभा, उक्त दिनांक से मध्यप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के दायित्वों से मुक्त हो गये हैं.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.